

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक एफ.17 (ई)()ग्राविप/प्र.2/क.लि.नि./18/1940 जयपुर,दिनांक : 3.5.18

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1395 दिनांक 27.03.2018 के द्वारा क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री अभिषेक सैनी पुत्र श्री रतन लाल सैनी का कनिष्ठ सहायक के पद पर परिवाक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त करते हुये 15 दिवस क अन्दर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था। श्री अभिषेक सैनी द्वारा पिता जी बीमार होने एवं बहन की शादी समारोह संभालने के कारण कार्यग्रहण करने के लिये समयावधि बढ़ाने का निवेदन किया गया।


श्री अभिषेक सैनी द्वारा उक्त आदेश के क्रम में लगभग एक माह व्यतीत होने के बाद भी कार्यग्रहण नहीं किया है। अतः श्री सैनी की अब समयावधि बढ़ाया जाना संभव नहीं है, तथा विभागीय आदेश क्रमांक 1395 दिनांक 27.03.2018 के क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री अभिषेक पुत्र श्री रतन लाल सैनी के नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेन्द्र शोखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायत राज मुख्यालय।
2. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्री अभिषेक सैनी पुत्र श्री रतन लाल सैनी ढाणी नली नयावाली, वार्ड नं. 23, श्री माधोपुर सीकर
4. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)